न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 01/2018 **दायर दिनांकः 29.01.2018**

उनवान

1. भंवरलाल उम्र 84 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति नायक निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. कन्हैयालाल उम्र 47 वर्ष पुत्र भंवरलाल नायक
2. देवकरण उम्र 55 वर्ष पुत्र भंवरलाल निवासीगण आटोन तहसील अटरू जिला बारां।
3. धनराज आयु 50 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति नायक निवासी आटोन हाल निवासी महावीर भगवान के मन्दिर के पास नाले के पास कंसुआ कोटा जिला कोटा राज0।
4. भोजराज आयु 52 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति नायक निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भरण पोषण अधिनियम 2007

उपस्थितिः—

प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय

दिनांक 22.08.2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम 2007 इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी ग्राम आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0 का रहने वाला है। जिसको प्रार्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताडित किया जा रहा है/घर से निष्कासित कर दिया है। जिससे प्रार्थी का जीवन—यापन करना मुश्किल हो गया है। इसलिए प्रार्थी को प्रतिमाह भरण—पोषण राशि 5000/— दिलाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के ग्राम आटोन तहसील अटरू खाता संख्या 406 के कुल किता 5 का रकबा 2.69 है0 आराजी खाते दर्ज है जो अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर लिया है। नकल जमाबन्दी की प्रति साथ में संलग्न है।

अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को तलब कर, भरण पोषण राशि दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये नोटिस की गई, अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में वर्णित तथ्यों में से मात्र प्रार्थी का आटोन में रहना स्वीकार है शेष तथ्य असत्य है, न तो प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने प्रताडित किया है और न ही घर से निकाला तथा यह भी तथ्य सही है कि प्रार्थी के खाते 15

बीघा जमीन है लेकिन प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है जिसका विवरण विशेष कथन में दर्ज किया गया है।

—:: विशेष कथन ::—

अप्रार्थीगण चार भाई है धनराज, देवकरण, भोजराज, कन्हैयालाल जो प्रार्थी के पुत्र है। प्रार्थी के खाते में 15 बीघा जमीन है जिसमें से 10 बीघा जमीन धनराज, भोजराज के कब्जे काश्त में तथा 5 बीघा जमीन कन्हैयालाल के पास में है तथा देवकरण के पास में एक बीघा भी जमीन नही है। प्रार्थी की पत्नि तथा अप्रार्थीगण की मां अप्रार्थी कन्हैयालाल के पास में रहती है जिसका पूरा खर्चा अप्रार्थी कन्हैयालाल के ऊपर है तथा प्रार्थी भंवरलाल अपने लड़के भोजराज के साथ में निवास करते है, पिताजी के पास 8 बीघा जमीन अलग से ही है जिसको भोजराज काश्त करता है, इस तरह से प्रार्थी के पास में 23 बीघा जमीन के लगभग है जिसमे से 18 बीघा जमीन तो धनराज, भोजराज के कब्जे काश्त में है तथा 5 बीघा जमीन कन्हैयालाल के कब्जे काश्त में है। स्वयं प्रार्थी द्वारा अपने चारों पुत्रों के साथ में समान व्यवहार नही कर रखा है। प्रार्थी चाहता है कि 5 बीघा जमीन जो कन्हैयालाल के पास में है उस पर भी मै ही कब्जा काश्त रहूं। इस तरह से प्रार्थी द्वारा दौनों ही अप्रार्थीगण कन्हैयालाल तथा देवकरण का पूरा परिवार डिस्ट्रब कर रखा है। प्रार्थी द्वारा पूरा प्रार्थना पत्र मनगढ़न्त एवं झूठे तथ्यों पर पेश किया है जो काबिल निरस्तनीय है।

अतः अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र भरण पोषण राशि दिलाये जाने पेश कर निवेदन करते है कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 11.01.2018 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी के खाते में ग्राम आटोन मे किता 5 रकबा 2.69 है0 भूमि है, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर रखा है तथा घर से निष्कासित कर दिया गया है जीवन यापन करने हेतु भरण पोषण राशि 5000 रूपये दिलाये जावें।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::कियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 ल 4 को आदेशित किया जाता है। कि प्रार्थी को प्रतिमाह के 1 तारीख तक 1000 रूपये प्रति अप्रार्थी के हिसाब से कुल 4000 रूपये अदा करें।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.09.04 17:51:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: